अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मध्यभारत

छात्र-शक्ति' भारत माता चौक, डिपो चौक, भदभदा रोड , भोपाल - 462003, दूरभाष : 0755-2542005,
ई.मेल : abvpmadhyabharat@gmail.com| www.madhyabharat.abvp.org

पंजीयन क्र.-एस.385(1949-50)

दिनांक – 12/11/2025

प्रति

निदेशक

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)

महोदय,
सिवनय निवेदन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के NAAC मूल्यांकन के संदर्भ में हुई अनियमितता आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा निर्धारित समयसीमा एवं प्रक्रिया से अलग प्रतीत होता है।

1. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV), भोपाल को NAAC की प्रथम चक्र प्रत्यायन (Cycle-1) के अंतर्गत 'A' ग्रेड (CGPA 3.02) प्रदान किया गया था, जिसकी वैधता 8 जून 2022 तक थी।

2. NAAC के Revised University Manual (2020) तथा IIQA Submission Guidelines के अनुसार, पुनर्प्रत्यायन (Re-Accreditation, Cycle-2) हेतु संस्थान को अपनी IIQA (Institutional Information for Quality Assessment) को पिछले प्रत्यायन की समाप्ति तिथि से छह माह पूर्व जमा करना होता है, और IIQA के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् 45 दिवस के भीतर SSR (Self Study Report) अपलोड करना अनिवार्य है।

> (संदर्भ: NAAC Portal – Instructions for Submission of IIQA and SSR, NAAC Revised Manual 2020, पृष्ठ 9: "After acceptance of IIQA, SSR has to be submitted within 45 days; beyond which, the institution needs to apply afresh.")

3. उपर्युक्त नियमों के अनुसार यदि RGPV ने अपनी IIQA आवेदन 2022 के मध्य या उसके पूर्व स्वीकृत कराई होती, तो SSR को उसी समय सीमा (45 दिनों) के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

4. तथापि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार RGPV ने अपनी SSR नवंबर 2024 में अपलोड की, जो न केवल प्रथम चक्र की वैधता समाप्ति (जून 2022) के दो वर्ष पश्चात् है, बल्कि IIQA स्वीकृति के 45 दिवस की सीमा से भी कहीं अधिक विलंबित है। यह परिस्थिति NAAC की निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से विचलन (deviation) का द्योतक है।

5. यदि SSR इतने विलंब से अपलोड की गई है, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उक्त डेटा-आधारित मूल्यांकन में 2017–2022 की अवधि का आकलन सम्मिलित किया गया, या केवल 2024 के पश्चात् का डाटा लिया गया? इस प्रकार की अस्पष्टता NAAC प्रत्यायन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाती है।

अतः निवेदन है कि —

इस प्रकरण की NAAC के Centralised Complaints Management Committee (CCMC) द्वारा गहन जाँच कराई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि:

SSR अपलोडिंग की समयसीमा (45 दिवस) का उल्लंघन हुआ या नहीं;

क्या विश्वविद्यालय ने निर्धारित अवधि से बाहर जाकर डेटा प्रस्तुत किया;

और यदि ऐसा पाया जाए, तो प्रत्यायन प्रक्रिया का पुनः परीक्षण (review) कराया जाए।

यह शिकायत NAAC Manual 2020 एवं IIQA-SSR Guidelines के उल्लंघन के संदर्भ में दर्ज की जा रही है, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।

आपसे अनुरोध है कि इस शिकायत को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही की जाए तथा इसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी प्रदान की जाए।

केतन चतुर्वेदी
प्रांत मंत्री
मोबाइल न. - 9340623795